विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के प्रस्तावों तथा अन्य विविध प्रस्तावों पर विचार करने के लिए 5 जून, 2007 को पूर्वाहन 10.30 बजे आयोजित एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 13वीं बैठक का कार्यवृत्त

एसईजेड के लिए अनुमोदन बोर्ड की 13वीं बैठक श्री गोपाल के पिल्लई, सचिव, वाणिज्य विभाग की अध्यक्षता में 5 जून, 2007 को पूर्वाहन 10.30 बजे कमरा नंबर 108, उद्योग भवन, नई दिल्ली में हुई। अनुमोदन बोर्ड ने अधिसूचित / अनुमोदित एसईजेड के संबंध में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना से संबंधित प्रस्तावों तथा अन्य विविध अनुरोधों पर विचार किया। प्रतिभागियों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट I)।

2. अध्यक्ष ने अनुमोदन बोर्ड की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया तथा बताया कि सभी राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके राज्य में अनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के कार्यान्वयन में प्रगति हो रही है। उन्होंने एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए औपचारिक अनुमोदनों पर विशेष ध्यान आकृष्ट किया तथा निर्देश दिया कि राज्य सरकारों को अपने राज्य में औपचारिक अनुमोदनों के संदर्भ में तिमाही प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए जिसे सदस्यों के सूचनार्थ अनुमोदन बोर्ड के समक्ष रखा जाएगा।

3. इसके बाद चर्चा के लिए एजेंडा की मदें ली गईं जो इस प्रकार हैं :

(क) औपचारिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, जिला अकोला, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में कृषि प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, जिला अकोला, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा कृषि प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. एयरोली साफ्टवेयर पार्क, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 60.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 4) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने एयरोली साफ्टवेयर पार्क, जिला थाणे, महाराष्ट्र में 60.7 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा आईटी /

आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. महादेवपुरा एवं कग्गाडासापुरा, के आर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में 14.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस, साफ्टवेयर विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 9) :

राज्य सरकार ने अनुमोदन बोर्ड को सूचित किया कि 14.27 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है, जबकि एजेंडा में 10.61 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया है और यह कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने महादेवपुरा एवं कग्गाडासापुरा, के आर पुरम, बंगलौर, कर्नाटक में 14.27 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गोपालन एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस, साफ्टवेयर विकास के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. सर्वे नंबर 169, आरे मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए रॉयल पाल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 10) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने सर्वे नंबर 169, आरे मिल्क कालोनी, गोरेगांव (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रॉयल पाल्म इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. सीएमडीए औद्योगिक संपदा, मरालमलाई नगर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 12) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। भूमि के खाली होने को लेकर शंका व्यक्त की गई। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित एसईजेड के क्षेत्रफल में उक्त इमारतों को शामिल नहीं किया गया है। इस शर्त के अधीन कि प्रस्तावित भूमि खाली है, जिसका सत्यापन साइट के निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारीय विकास आयुक्त द्वारा किया जाएगा, अनुमोदन बोर्ड ने सीएमडीए औद्योगिक संपदा, मरालमलाई नगर, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स स्पेल सेमीकंडक्टर लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

6. ग्राम जामिन पल्लावरम, चिंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 13) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर कुछ फील्ड चैनल हैं। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इससे एसईजेड की सन्निकटता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि विकासक द्वारा एसईजेड के अंदर इसी रूप में उनका अनुरक्षण किया जाएगा। इस शर्त के अधीन कि इन फील्ड चैनलों को विकासक द्वारा ढका जाएगा, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम जामिन पल्लावरम, चिंगलपेट तालुक, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 10.19 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स एसएनपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. प्लॉट नंबर पीएल-3, राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, ग्राम मरुंजी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डाइनेस्टी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 14) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्लॉट नंबर पीएल-3, राजीव गांधी इंफोटेक पार्क, हिंजेवाड़ी, फेज 2, ग्राम मरुंजी, तालुक मुलशी, जिला पुणे, महाराष्ट्र में 20 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डाइनेस्टी डवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. ग्राम, टाडीकोंडा मंडल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 45.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स ह्वाइटसिटी प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 15) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम, टाडीकोंडा मंडल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 45.8 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स ह्वाइटसिटी प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. ग्राम गोपनपल्ली, वट्टीनागौपल्ली मंडल, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 40.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स विप्रो लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 16) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 40.46 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स विप्रो लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

10. पनवेल - पालसपेफाटा जंक्शन के पास, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 17) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने पनवेल - पालसपेफाटा जंक्शन के पास, महाराष्ट्र में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स सैनवो रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

11. नासिक, महाराष्ट्र में 1023.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 19) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने सूचित किया है कि अब 1023.43 हेक्टेयर भूमि पर उनका कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि भूमि एसपीवी के कब्जे में है जो एमआईडीसी के साथ संयुक्त रूप से गठित की गई है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नासिक, महाराष्ट्र में 1023.43 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

12. ग्राम सोकोरो, तालुक बारडेज, उत्तर गोवा जिला, गोवा में 18.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पंचभूमि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 21) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम सोकोरो, तालुक बारडेज, उत्तर गोवा जिला, गोवा में 18.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स पंचभूमि इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट

लिमिटेड द्वारा आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

13. ग्राम अनंतसागर, हासनपार्थी मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स वी आर एंटरप्राइजेज का अनुरोध (क्रम संख्या 22) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम अनंतसागर, हासनपार्थी मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में 10.12 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स वी आर एंटरप्राइजेज द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

14. इगतपुरी, महाराष्ट्र में 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स जिंदल फोटो लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 23) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने इगतपुरी, महाराष्ट्र में 12.23 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जिंदल फोटो लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

15. तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.11.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम का अनुरोध (क्रम संख्या 27) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है और राज्य सरकार ने भी प्रस्ताव की सिफारिश की है। अनुमोदन बोर्ड ने यह भी नोट किया कि प्रस्ताव एकीकृत इंटरनेशनल कनवेंशन सेंटर के साथ आईटी / आईटीईएस सेक्टर के लिए है और निर्णय लिया कि केवल आईटी / आईटीईएस सेक्टर के लिए मंजूरी प्रदान की जा सकती है तथा कनवेंशन सेंटर के लिए विकासक एसईजेड की अधिसूचना के बाद अधिकृत गतिविधियों की मंजूरी के लिए आवेदन के समय कनवेंशन सेंटर के आकार के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.11.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

16. ग्राम माडीकोंडा, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में 14.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) का अनुरोध (मद संख्या 28) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम माडीकोंडा, हानमकोंडा मंडल, वारंगल जिला, आंध्र प्रदेश में 14.32 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कार्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

17. जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 31) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। स्पष्ट किया गया कि मौजूदा एयरपोर्ट प्रस्तावित एसईजेड का अंग नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शमशाबाद, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 101.2 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एयरपोर्ट आधारित बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

18. मोती चिराल जीजीडीसीएल एस्टेट, ग्राम मोती चिराल, जिला कच्छ, गुजरात में 131-59-62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प एवं शिल्पकार के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए गुजरात गोथ सेंटर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीजीडीसीएल) का अनुरोध (क्रम संख्या 33):

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मोती चिराल जीजीडीसीएल एस्टेट, ग्राम मोती चिराल, जिला कच्छ, गुजरात में 131-59-62 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में गुजरात गोथ सेंटर्स डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जीजीडीसीएल) द्वारा हस्तशिल्प एवं शिल्पकार के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

19. तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 34) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने तारामणि, चेन्नई, तमिलनाडु में 10.68 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

20. सिपकॉट औद्योगिक विकास केंद्र, ओरगादम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 140.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु का अनुरोध (क्रम संख्या 35) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने स्पष्ट किया कि परियोजना के लिए विकासक के पास उपलब्ध भूमि 140.69 हेक्टेयर (347.66 एकड़) है। तद्नुसार अनुमोदन बोर्ड ने सिपकॉट औद्योगिक विकास केंद्र, ओरगादम, कांचीपुरम जिला, तमिलनाडु में 140.69 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कार्पोरेशन ऑफ तमिलनाडु द्वारा इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

21. मंगलागिरि मंडल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए वीजीटीएम शहरी विकास प्राधिकरण का अनुरोध (क्रम संख्या 39) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने मंगलागिरि मंडल, जिला गुंटूर, आंध्र प्रदेश में 16 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वीजीटीएम शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

22. जोधपुर, राजस्थान में 131 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अनुरोध (क्रम संख्या 40) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने जोधपुर, राजस्थान में 131 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मानसरोवर इंडस्ट्रियल डवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा हस्तशिल्प के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

23. ग्राम पुरवा और भीटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 36.437 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इंलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) का अनुरोध (सारणी एजेंडा की क्रम संख्या 1) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 31 मई, 2007 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तावित भूमि की सन्निकटता संदिग्ध थी। नोट किया गया कि संशोधित फार्म ए के अनुसार, भूमि संस्पर्शी है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम पुरवा और भीटा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में 36.437 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश स्टेट इंलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

24. बडवई, एयरपोर्ट के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश में 85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मध्य प्रदेश स्टेट इंलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) का अनुरोध (सारणी एजेंडा की क्रम संख्या 2) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि 31 मई, 2007 को आयोजित बैठक में प्रस्ताव आस्थगित कर दिया गया था क्योंकि प्रस्तावित भूमि की सन्निकटता संदिग्ध थी। नोट किया गया कि संशोधित फार्म ए के अनुसार, भूमि संस्पर्शी है और भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने बडवई, एयरपोर्ट के पास, भोपाल, मध्य प्रदेश में 85 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश स्टेट इंलेक्ट्रानिक्स डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) द्वारा आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

25. नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सत्यवेदु रिजर्व इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 1(i))

अनुमोदन बोर्ड ने सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए सत्यवेदु रिजर्व इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि विकासक ने 1023 हेक्टेयर भूमि का कब्जा ले लिया है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, नोट किया गया कि कुछ ग्रामीण सड़कें हैं जिससे सन्निकटता प्रभावित हो सकती है। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया कि इसमें सन्निकटता का कोई मुद्दा नहीं है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नेल्लोर जिला, आंध्र प्रदेश में 1023 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सत्यवेदु रिजर्व इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए इस शर्त के अधीन औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया कि भूमि संस्पर्शी है।

26. गुड़गांव, हरियाणा में 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए रिलायंस हरियाण एसईजेड लिमिटेड का अनुरोध (पूरक एजेंडा का क्रमांक 1(ii))

अनुमोदन बोर्ड ने बहु उत्पाद के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन को बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड के लिए औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए रिलायंस हरियाण एसईजेड लिमिटेड के अनुरोध पर विचार किया। विकासक ने 485.6 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा एसईजेड की स्थापना की मंजूरी के लिए अनुरोध किया है जिस पर उसका पहले से ही कब्जा है। तथापि, साइट से एक सड़क गुजर रही है जिसकी वजह से केवल 440 हेक्टेयर का क्षेत्रफल संस्पर्शी है तथा शेष 45.56 हेक्टेयर संस्पर्शी नहीं है। अनुमोदन बोर्ड ने गुड़गांव, हरियाणा में 440 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

(2) सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए निर्णय :

1. नांदेड़, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 1) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नांदेड़, महाराष्ट्र में 50 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड द्वारा रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

2. केसुर्डे तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 3) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने केसुर्डे तालुक खंडाला, जिला सतारा, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा इंजीनियरिंग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

3. येदशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में चमड़ा उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) का अनुरोध (क्रम संख्या 5) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है क्योंकि भूमि अधिग्रहण के अंतिम चरण में है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने येदशी, जिला उस्मानाबाद, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी) द्वारा चमड़ा उद्योग के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

4. दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में 105 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में स्टील के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स जय बालाजी स्पोंज लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 8) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में 105 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स जय बालाजी स्पोंज लिमिटेड द्वारा स्टील के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

5. नासिक, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 18) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने नासिक, महाराष्ट्र में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड द्वारा बहु सेवा के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

एजेंडा की इस मद पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि बहु सेवा तथा पर्यटन, शिक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना से संबंधित मुद्दों पर इन सेवाओं का निर्यात किए जाने की क्षमता की दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है तथा इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि विकासक कैसे एनएफई प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है। औपचारिक अनुमोदन के समय एसईजेड के विकासक से ब्यौरे प्राप्त किए जाएंगे और इस पर विचार विमर्श किया जाएगा।

6. थाणे, महाराष्ट्र में 2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 20) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने थाणे, महाराष्ट्र में 2429 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स इंडियाबुल्स इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

7. ग्राम रामापुरा 2, तालुक रजुला, जिला अम्रेली, गुजरात में 105.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा एंसीलियरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स पीएसएल लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 24) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि जिस सेक्टर के लिए अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है उस पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। विकासक सटीक गतिविधि का उल्लेख कर सकता है जिसके लिए एसईजेड स्थापित किया जाना है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने ग्राम रामापुरा 2, तालुक रजुला, जिला अम्रेली, गुजरात में 105.67 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स पीएसएल लिमिटेड द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा और ऊर्जा एंसीलियरीज के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

8. दनकुनी टाउनशिप, पश्चिम बंगाल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 25) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने दनकुनी टाउनशिप, पश्चिम बंगाल में 100 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स डीएलएफ लिमिटेड द्वारा वस्त्र के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

9. रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स रेवास पोर्ट्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 26) :

राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने केवल सैद्धांतिक अनुमोदनों के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। स्पष्ट किया गया कि यह खाली भूमि पर पोर्ट आधारित एसईजेड है, परंतु ग्रीन फील्ड परियोजना है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने रेवास, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 2850 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में मैसर्स रेवास पोर्ट्स लिमिटेड द्वारा बहु उत्पाद एसईजेड स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने का निर्णय लिया।

इस मद पर चर्चा के दौरान राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि पोर्ट आधारित और एयरपोर्ट आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था भिन्न होनी चाहिए और इसलिए ऐसे एसईजेड से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए नीति में कुछ परिवर्तन करने होंगे। वाणिज्य विभाग और राजस्व विभाग द्वारा इस पर अलग से चर्चा की जाएगी।

(3) आस्थगन के लिए निर्णय :

1. ग्राम लांड्रा, मोहाली, पंजाब में 10.89 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में सूचना प्रौद्योगिकी सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए लार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 6) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, विकासक के कब्जे के अधीन भूमि की मात्रा पर कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। अनुमोदन बोर्ड ने निर्देश दिया कि इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा जाए कि क्या आईटी एसईजेड के लिए अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्रफल अर्थात 10 हेक्टेयर भूमि पर विकासक का कब्जा है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 22 जून 2007 को अपनी अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित करने का निर्णय लिया।

2. तूतीकोरीन, तमिलनाडु में 121.5 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स सीसीसीएल लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 7) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की है। विकासक का भूमि पर कब्जा था। तथापि, अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि रिकार्ड के लिए निगमन प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, जिसे प्रस्तुत करने के लिए विकासक से कहा जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने 22 जून 2007 को अपनी अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित करने का निर्णय लिया।

3. गुड़गांव फरीदाबाद रोड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी एवं आईटीईएस सहित इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स कैंटोन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 11) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। तथापि, नोट किया गया कि विकासक द्वारा प्रस्तुत फार्म ए में इस बात का उल्लेख है कि सन्निकटता के मुद्दे पर संदेह बढ़ने के कारण भूमि को संस्पर्शी बनाने के लिए वे सरकारी भूमि के साथ अपनी भूमि की अदला बदली कर सकते हैं। चूंकि इस मुद्दे पर और स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी इसलिए अनुमोदन बोर्ड ने 22 जून 2007 को अपनी अगली बैठक के लिए प्रस्ताव पर निर्णय आस्थगित करने का निर्णय लिया।

4. सेक्टर 143ए, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10.0256 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 29) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव को आस्थगित करने का अनुरोध किया है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने उसे आस्थगित करने का निर्णय लिया।

5. औरंगाबाद, महाराष्ट्र में 102 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में रत्न एवं आभूषण के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 30) :

राज्य सरकार ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की है। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि औरंगाबाद में एमआईडीसी के पास कोई भूमि नहीं है और यह कि विकासक को स्थान बदलने की सलाह दी गई है। अनुमोदन बोर्ड ने निदेश दिया कि विकासक को सटीक लोकेशन के साथ वापस आने के लिए कहा जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

6. बोलपुर, शांतिनिकेतन, पश्चिम बंगाल में 80.334 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स शांतिनिकेतन इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 32) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि भूमि पर विकासक का कब्जा है। राज्य सरकार ने भी औपचारिक अनुमोदन के लिए सिफारिश की है। तथापि, नोट किया गया कि उक्त भूमि से होते हुए कोई रोड निकल रही है जिस पर विकासक से स्पष्टीकरण प्रदान करने के लिए कहा जा सकता है। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

7. प्लाट नंबर 7, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स फालकॉन कॉलटेक प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 36) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पहले औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए राज्य सरकार को कुछ और समय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

8. प्लाट नंबर 6, सेक्टर 144, नोएडा, उत्तर प्रदेश में 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में आईटी / आईटीईएस के लिए क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए मैसर्स परफेक्ट आईटी एसईजेड प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 37) :

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने पहले औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने के लिए प्रस्ताव की सिफारिश की थी। तथापि, राज्य सरकार के प्रतिनिधि ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का अनुरोध किया। तद्नुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करने के लिए

राज्य सरकार को कुछ और समय प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित कर दिया।

9. पुणे, महाराष्ट्र में 460 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में शिक्षा एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड स्थापित करने के लिए मैसर्स एम एड सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का अनुरोध (क्रम संख्या 38) :

राज्य सरकार ने औपचारिक अनुमोदन प्रदान करने की सिफारिश की थी। तथापि, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि ने कहा कि परियोजना का विस्तार से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तदनुसार, विकासक से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने का निर्णय लिया गया तथा प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित किया गया।

पूरक एजेंडा I :

मद संख्या 1 : सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में परिवर्तित करने के लिए अनुरोध

(i) और (ii) मैसर्स सत्यवेदु रिजर्व इनफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड और मैसर्स रिलायंस हरियाणा एसईजेड लिमिटेड के अनुरोधों पर निर्णय उपर्युक्त मद संख्या 25 और 26 में सूचीबद्ध है।

(iii) संबलपुर, उड़ीसा में एल्युमिनियम तथा एल्युमिनियम उत्पादों (कैप्टिव पावर प्लांट के साथ) के लिए क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड की स्थापना के लिए प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि राज्य सरकार ने एल्युमिनियम एवं एल्युमिनियम उत्पाद एसईजेड की स्थापना के लिए हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमिटेड को प्रदान किए गए सैद्धांतिक अनुमोदन को औपचारिक अनुमोदन में बदलने के प्रस्ताव की सिफारिश की है। तथापि, कब्जा के अधीन भूमि तथा भूमि की सन्निकटता के बारे में कुछ और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। तदनुसार, अनुमोदन बोर्ड ने प्रस्ताव पर विचार करना आस्थगित करने का निर्णय लिया।

मद संख्या 2 : विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए प्रस्ताव

(i) डीएलएफ कामर्सियल डवलपर्स लिमिटेड द्वारा सिलोखेड़ा, गुड़गांव में आईटी / आईटीईएस एसईजेड में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड परियोजना में **231** मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है।

(ii) डीएलएफ साइबर सिटी डवलपर्स लिमिटेड द्वारा डीएलएफ सिटी, गुड़गांव में विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

अनुमोदन बोर्ड ने नोट किया कि एसईजेड परियोजना में 349 मिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है।

मद संख्या 3 : अधिकृत प्रचालनों के लिए अनुरोध

(i) चेन्नई, तमिलनाडु में एलकॉट द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स (सह विकासक) का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 1 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

(i) स्वचालित टेलर मशीन

(ii) नानक्रामगुडा, रंगारेड्डी जिला, आंध्र प्रदेश में एपीआईआईसी द्वारा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित आईटी / आईटीईएस एसईजेड में अधिकृत प्रचालनों के लिए मैसर्स वर्टुसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अनुरोध

अनुमोदन बोर्ड द्वारा निम्नलिखित को छोड़कर अनुबंध 2 में सूचीबद्ध अधिकृत प्रचालनों को इस शर्त के अधीन मंजूरी प्रदान की गई कि सभी अनुमोदित अधिकृत प्रचालन प्रसंस्करण क्षेत्र के अंदर होंगे :

i) पुलिस चौकी
ii) स्वचालित टेलर मशीन

मद संख्या 4 : गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों की मात्रा में वृद्धि के लिए मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड का अनुरोध

मैसर्स अंसल आईटी सिटी एंड पार्क्स लिमिटेड के प्रतिनिधि ने गैर प्रसंस्करण क्षेत्र में अधिकृत प्रचालनों की मात्रा में वृद्धि के लिए अपने अनुरोध के समर्थ में औचित्य प्रदान करते हुए प्रस्तुति दी। बताया गया कि एसईजेड के क्रियाशील हो जाने पर यह तीन पालियों में काम करेगा तथा प्रत्येक पाली में 10000 व्यक्ति काम करेंगे। यह देखते हुए कि एसईजेड में 40000 कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा, विकासक को कम से कम 500 मकानों का निर्माण करना होगा। कामर्सियल कम्प्लेक्स के

संबंध में बताया गया कि इसमें क्लब, मेडिकल सेंटर, प्ले स्कूल (प्राइमरी स्कूल), कम्युनिटी हाल और अतिथियों के लिए सर्विस अपार्टमेंट होंगे।

विस्तृत चर्चा के बाद मंजूरी प्रदान करने के लिए सहमत मानदंडों से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया :

(क) विभिन्न श्रेणी के 500 मकान जिनका कुल क्षेत्रफल 86000 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा।

(ख) 25000 वर्गमीटर का वाणिज्यिक क्षेत्र जिसका ब्यौरा विकासक द्वारा प्रदान किया जाएगा।

विकासक को सूचित किया गया कि आवासीय परिसर का निर्माण 5 चरणों में करना होगा। यह देखते हुए कि विकासक ने अधिक आवश्यकता के लिए अनुरोध किया है, अनुमोदन बोर्ड ने आश्वासन दिया कि प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास में हुई प्रगति के आधार पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा वृद्धि के लिए अग्रेतर अनुरोधों पर विचार किया जाएगा और मंजूरी प्रदान की जाएगी।

अनुबंध 1

मैसर्स सत्यम कंप्यूटर्स सर्विसेज लिमिटेड

1. सड़कें
2. कैफ्टेरिया
3. सीवरेज लाइनें और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट
4. विद्युत (पावर बैकअप सहित)
5. सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम
6. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
7. लैंडस्केपिंग
8. मनोरंजन की सुविधाएं
9. प्रतिभूति
10. फूड कोर्ट
11. जिम

उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए अनुमत होंगी।

अनुबंध 2

वर्टुसा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

1. स्ट्रीट लाइट, सिग्नल तथा साइनेज के साथ सड़कें
2. उपयुक्त क्षमता के जल शोधन संयंत्र, जलापूर्ति लाइनें, सीवेज लाइनें, स्टार्म वाटर ड्रेन तथा वाटर चैनल
3. सीवेज एवं कूड़ा निस्तारण संयंत्र, पाइप लाइनें तथा सीवेज के लिए अन्य आवश्यक अवसंरचना और कचरा निस्तारण, सीवेज शोधन संयंत्र
4. सुरक्षा कार्यालय
5. कार्यालय स्थान
6. मल्टीलेवल कार पार्किंग सहित पार्किंग (स्वचालित या मैनुअल)
7. इंटरनेट कनेक्टिविटी सहित दूरसंचार तथा अन्य संचार सुविधाएं
8. एयर कंडिशनिंग
9. पारस्परिक संयोजकता के साथ सामान्य डाटा केन्द्र
10. विद्युत (पावर बैकअप की सुविधाओं सहित)
11. स्प्रिंकलर, फायर और स्मोक डिटेक्टर के साथ फायर प्रोटेक्शन सिस्टम
12. क्लब हाउस, जिम सहित मनोरंजन की सुविधाएं
13. कर्मचारी कल्याण सुविधाएं जैसे कि क्रेच, चिकित्सा केन्द्र तथा ऐसी अन्य सुविधाएं
14. कैफेटेरिया, फूड कोर्ट, कॉफी शॉप, कैंटीन सहित फूड सर्विस
15. लैंड स्केपिंग और वाटर बाडीज
16. वाई फाई और/या वाई मैक्स सेवाएं
17. ड्रिप एवं माइक्रो सिंचाई प्रणालियां

क्रमांक 15 और 17 को छोड़कर उपर्युक्त सभी गतिविधियां केवल प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुमत होंगी।

परिशिष्ट I

वाणिज्य सचिव की अध्यक्षता में 5 जून, 2007 को आयोजित विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अनुमोदन बोर्ड की बैठक के प्रतिभागियों की सूची

1. श्री जी के पिल्लई, वाणिज्य सचिव, वाणिज्य विभाग- अध्यक्ष
2. श्री देवेंद्र दत्त, सदस्य (सीबीईसी), राजस्व विभाग
3. श्री जे के बत्रा, डीजीईपी, सीबीईसी
4. श्री बी के जुनेजा, एडीजी (ईपी), सीबीईसी
5. श्री दिनेश वर्मा, सीआईटी (आईटीए), सीबीडीटी
6. श्री दीपक गर्ग, अवर सचिव, सीबीडीटी
7. श्री बी संम्ब, प्रमुख सचिव (उद्योग एवं वाणिज्य विभाग), आंध्र प्रदेश सरकार
8. श्री वी के जयरथ, प्रमुख सचिव, उद्योग, महाराष्ट्र
9. श्री आर जे शाह, प्रमुख मुख्य औद्योगिक सलाहकार, उद्योग आयुक्त गांधीनगर, गुजरात
10. श्री अनुराग श्रीवास्तव, एमडी, एमपीएसईडीसी, मध्य प्रदेश
11. श्री के राजारमन, विशेष सचिव (उद्योग), तमिलनाडु सरकार
12. श्री बी के पटेल, प्रबंधक (एसईजेड और आईपी), उड़ीसा औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम, भुवनेश्वर, उड़ीसा
13. श्री मुरलीधर रेड्डी, ईडी, आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम, आंध्र प्रदेश
14. श्री भास्कर खुल्बे, सलाहकार, पश्चिम बंगाल सरकार
15. श्री एस जी पाटिल, जी एम (मार्केटिंग), एमआईडीसी, मुंबई
16. श्री बी.एस. कृष्ण प्रसाद, निवासी निदेशक, कर्नाटक सरकार, कर्नाटक भवन, नई दिल्ली
17. श्री संजीव कुमार मिश्रा, अतिरिक्त रेजिडेंट कमिश्नर, उड़ीसा सरकार
18. श्री जी.आर राजोरा, डिप्टी आरसी, पंजाब सरकार
19. श्री सुनील चोपड़ा (उप निदेशक), उद्योग निदेशालय, हरियाणा, चंड़ीगढ़
20. श्री सुनील पालीवाल, ईडी, टिडको, चेन्नई
21. श्री अरुण कुमार झा, निदेशक, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
22. श्री वाई रामेह, टाउन एंड कंट्री प्लानर, शहरी विकास मंत्रालय
23. सुश्री रीता वशिष्ठ, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन
24. श्री वी पी सिंह तोमर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
25. श्री संजय रस्तोगी, ईसी, डीजीएफटी का कार्यालय
26. श्री एस एन जिंदल, डीजी, एसटीपीआई, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
27. श्री एस के शर्मा, उप निदेशक (ईपी), डीसी (एसएसआई), नई दिल्ली
28. श्री एल बी सिंघल, महानिदेशक, ईपीसीईएस

विकास आयुक्त

29. श्री सुरेश चंद्र पांडा, विकास आयुक्त, नोएडा एसईजेड, उत्तर प्रदेश
30. श्री एन सग्गी, विकास आयुक्त, मुंबई, महाराष्ट्र
31. श्री उपेंद्र वशिष्ठ, विकास आयुक्त, कांडला एसईजेड, गांधीधाम, गुजरात
32. श्री एस के बंसल, विकास आयुक्त, आईएसईजेड, इंदौर, मध्य प्रदेश
33. श्री डॉ एम वी सुब्बा रेड्डी, जेडीसी, वीएसईजेड
34. श्रीमती उमा रॉय चौधरी, एडीसी, फाल्टा एसईजेड

वाणिज्य विभाग

35. श्री योगेन्द्र गर्ग, निदेशक, वाणिज्य विभाग
36. श्री पी वी शिवरामन, उप सचिव, वाणिज्य विभाग
37. श्रीमती बी रविंद्रन, अवर सचिव
38. श्रीमती जीन जी वी झिंगाखाई, अवर सचिव